मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल – 462016

फोनः 0755–2463585, 2430154, फैक्सः– 0755–4004137

ई मेलः– secretary@mperc.nic.in वैबसाईटः– www.mperc.in

क्रमांक मप्रविनिआ/संचा. (एल. एण्ड आर)/2024/723 **भोपाल, दिनांक 15/03/2024**

: सार्वजनिक सूचना :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 181(1) सहपठित धारा 43(1), धारा 44, धारा 45, धारा 46, धारा 47, धारा 48(ख), धारा 50, धारा 56, धारा 181(2)(ब) तथा धारा 181(2)(भ) एवं मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 9(ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (क्रमांक आरजी–1(II) वर्ष 2021) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित करता है। उक्त विनियम का प्रारुप आयोग की वेबसाईट **www.mperc.in** पर उपलब्ध है।

वे व्यक्ति, जो उक्त विनियम के प्रारूप पर अपने सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत करना चाहें, लिखित में आयोग सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को दिनांक **12.04.2024** तक प्रेषित कर सकते हैं। सुझाव/आपत्तियॉ/टीप ई–मेल से **secretary@mperc.nic.in** पर अथवा **directorlnrmperc@gmail.com** या फैक्स से फोन क्रं. **0755–4004137** पर भी प्रेषित किये जा सकते हैं। उपरोक्त प्रस्तावित विनियम के प्रारूप की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस को, दिनांक **12.04.2024** तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य आयोग कार्यालय से रू. 15/–(प्रति सेट) के नगद भुगतान द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह प्रति डाक द्वारा रु. 50/–(रू. 15/– प्रति सेट + रू. 35/–डाक व्यय हेतु) का भुगतान करने पर भी प्राप्त की जा सकती है।

आयोग द्वारा दिनांक **16.04.2024** को प्रातः **11.00** बजे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपने मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. की सूचना आयोग को देकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वैबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव